न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या:— 18/2017

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
1— श्रीमती गीता चौधरी धर्मपत्नी जगदीश चौधरी जाति जाट निवासी 146, सेक्टर 7, न्यू पॉवर हाउस रोड़,जोधपुर।		1— सुपरिन्टेनडेन्ट इंजिनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जोधपुर पता पी.डब्लू.डी.ऑफिस जोधपुर। 2— एक्स.ईएन., पी.डब्लू.डी. डिस्ट्रीक्ट डिवीजन (i।) लूणी पता पी.डब्लू.डी. ऑफिस, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 135 दिनांक 05.11.1977 ग्राम सांगरिया जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किये जाने बाबत्।

— — —

आदेश दिनांक 16.07.2018

उपस्थिति :—

1— श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
2— श्री मोहम्मद शरीफ भाटी सहायक अभियन्ता, उपखण्ड लूणी(प्रत्यर्थी सं0—1,2)

:— आदेश —:

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम सांगरिया के खेत खसरा की खातेदारी भूमि ख.नं. 86/1 रकबा 3. बीधा 8 बिस्वा भूमि छैलाराम एवं उनके भाई आईदानराम के संयुक्त खातेदारी में थी व खसरा नम्बरा 11 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि छैलाराम के खातेदारी में थी तथा आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा हुआ उसमें खसरा नम्बर 86 की पूरी भूमि छैलाराम के पुत्र नारायणराम के बंट में खसरा नम्बर 11 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि आईदानराम के पुत्र बींजाराम के बंट में आ गई। कालान्तर में सालावास रोड़ के चौड़ीकरण के कारण खसरा नम्बर 86 रकबा 1.3 बीघा का म्यूटेशन संख्या 135 एवं नामान्तरकरण सं0 148 के जरिये 1.3 बीघा यानि कुल 2.6 बीघा भूमि कम कर दी गई जिससे व्यथित होकर यह अपील मीमो मय धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम

लगातार....

Scanned with CamScanner

प्रार्थना–पत्र पेश हुआ।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड भी तलब किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से विभागीय प्रतिनिधि श्री रूपाराम परिहार सहायक अभियन्ता ने उपस्थित होकर दिनांक 26.09.17 को जबाब पेश किया। मूल नामान्तरकरण सं. 135 प्राप्त होने के पश्चात् अपीलार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस पेश हुई। दिनांक 09.11.2018 को अपीलार्थीपक्ष के अधिवक्त एवं प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से श्री मोहम्मद शरीफ भाटी सहायक अभियन्ता, उपखण्ड लूणी की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि वाके ग्राम सांगरिया के खेत खसरा की खातेदारी भूमि ख.नं. 86/1 रकबा 3.18 बीघा अपीलार्थी के ससुर नारायणराम तथा खसरा नम्बर 86 रकबा 3.18 बीघा बींजाराम पुत्र आईदानराम के खातेदारी में थी। पूर्व में खसरा नं. 86 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि छैलाराम एवं उनके भाई आईदानराम के संयुक्त खातेदारी में थी व खसरा नम्बरा 11 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि छैलाराम के खातेदारी में थी तथा बंटवाड़ा के म्युटेशन के जरिये खसरा नम्बर 86 व 86/1 अलग–अलग हुए परन्तु इसके पश्चात् छैलाराम व बीजाराम के वारिसान के मध्य आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा हुआ उसमें खसरा नम्बर 86 की पूरी भूमि छैलाराम के पुत्र नारायणराम के बंट में खसरा नम्बर 11 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि आईदानराम के पुत्र बींजाराम के बंट में आ गई। कालान्तर में सालावास रोड़ के चौड़ीकरण के कारण खसरा नम्बर 86 रकबा 1.3 बीघा का म्यूटेशन संख्या 135 एवं नामान्तरकरण सं0 148 के जरिये 1.3 बीघा यानि कुल 2.6 बीघा भूमि कम कर दी गई जबकि मौके पर 1.3 बीघा भूमि ही सड़क में गई थी। बहस में आगे बतलाया कि खसरा नम्बर 86 व 86/1 की अलग से तरमीम नहीं हुई। खसरा नम्बर 86 व 86/1 की भूमि 473 फुट सड़क पर लगती थी जिसमें से 50 फीट भूमि सड़क में जाने से उसका क्षेत्रफल 1.3 बीघा बनता है परन्तु दो खाते अलग–अलग थे इसलिए हलका पटवारी ने दो नामान्तरकरण भरकर खसरा नम्बर 86 में से भी 1.3 बीघा एवं खसरा नम्बर 86/1 में से भी 1.3 बीघा भूमि कर दी। वास्तव में मौके पर 1.3 बीघा भूमि ही सड़क में गई है, इसकी जांच हलका पटवारी या तहसीलदार से करवाई जा सकती है। बहस के निरन्तर में कहा कि यह भूमि वसीयतनामा के जरिये अपीलार्थी को दे दी थी एवं दिनांक 05.04.2017 को अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 135 के जरिये गलत तरीके से उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खातेदारी में दर्ज की गई की प्रमाणित प्रति लेने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया। अन्त में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 135 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थीपक्ष के विभागीय प्रतिनिधि श्री मो.शरीफ भाटी सहायक अभियन्ता ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को स्वीकार किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रत्यर्थीपक्ष

लगातार...

Scanned with CamScanner

14

की ओर से प्रस्तुत जबाब एवं उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने बहस में अपील के तथ्यों को स्वीकार किये जाने से अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता तथा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि सांगरिया से सालावास चलने वाली रोड़ के चौड़ाईकरण कालान्तर में सड़क के समान्तर में ख.नं. 86/1 एवं ख.नं. 86 में कुल भूमि 1.3 बीघा सम्मिलित की हुई है या उससे अधिक की गई, अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीपक्ष या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में मौका की जांच एवं नापजोख कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही का निस्तारण करे। आदेश की प्रति मय मूल नामान्तरकरण तहसीलदार जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सनाया गया।

Scanned with CamScanner